राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलकमार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः प.5(1204)डीओआईटी/टेक/19/03776/2019 जयपुर, दिनांकः 05.09.2019

समस्त अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव,
समस्त प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव,
समस्त कार्यालयाध्यक्ष/जिला कलेक्टर एवं पुलिस अध्यक्ष सहित

विषयः– विभागीय वेबसाइटों के नियमित अपडेशन के बाबत ।

संदर्भः– परिपत्र एवं आदेश क्रमांक एफ5(146)डीओआईटी/टेक/01/2236 दिनांक 29.09.2009, 757 दिनांक 29.07.2010, 2386 दिनांक 07.12.2010 एवं एफ5(433) डीओआईटी/टेक/10/358 दिनांक 31.01.2011, 1144 दिनांक 28.03.2011, 2505 दिनांक 22.07.2011 एवं एफ5(599)डीओआईटी/टेक/12/I/18060 दिनांक 10.04.2014

वर्तमान समय में किसी भी विभाग के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए प्रथमतः विभागीय वेबसाइट/पोर्टल आम नागरिकों के लिए प्रथम संवाद सेतु के रुप में कार्य करता हैं । इस हेतु आवश्यक हैं कि समस्त विभागों की वेबसाइट/पोर्टल पर नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाई जाये ।

इस संबंध में उपरोक्त संदर्भित पूर्व में जारी परिपत्रों एवं आदेशों द्वारा निर्देशित किया जा चुका हैं । किन्तु फिर भी देखा गया हैं कि अधिकतर वेबसाईट/पोर्टल पर अभी भी नियमित सूचना अपडेट नहीं होती हैं । अतः निर्देशित किया जाता हैं कि निम्नांकित बिन्दूओ की पालना सुनिश्चित करावें :–

1. विभागीय वेबसाइट/पोर्टल पर नियमित नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सभी विभागाध्यक्ष उनके अधीन समस्त विभागों में पदस्थापित आई.टी. संवर्ग के कार्मिकों में से एक सूचना सहायक को पोर्टल के नियमित अद्यतन का कार्य आवंटित करेगें ।

2. चिह्नित सूचना सहायक को विभाग स्तर पर सभी कार्यालयों/शाखा से समन्वय कर समयबद्व सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक विभागीय अधिकारी को नोडल अधिकारी चिह्नित किया जावें ।

3. संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना को वेबसाइट/पोर्टल पर अद्यतन करने में तकनीकी कार्य सूचना सहायक द्वारा नियमित रुप से समयबद्व तरीके से सम्पादित किया जावेगा।

4. यदि किसी विभाग की वेबसाईट/पोर्टल द्विभाषीय है तो सुनिश्चित किया जावे की समस्त सूचना दोनों भाषाओं में अद्यतन हो एवम दोनों भाषाओं में समान सूचना उपलब्ध हो ।

कृ.पृ.उ.

5. आवश्यकता होने पर सूचना सहायक, DoIT&C की वेबसाइट शाखा/टीम से संपर्क कर, आवश्यक तकनीकी सहायता ले सकते हैं ।

6. वेबसाइट/पोर्टल के कार्य से संबंधित विभागीय अधिकारी एवम सूचना सहायक की संपर्क सूचना संबंधित वेबसाइट पर Website nodal officer के रुप में, आवश्यक रुप से, उपलब्ध करवाई जाना सुनिश्चित किया जावें ।

7. इसके अतिरिक्त किसी भी एक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाने वाली न्यूनतम सूचना की सूची इस आदेश के साथ उद्धरण के रुप में संलग्न हैं । आवश्यकता अनुसार विभाग इससे अधिक सूचना भी अपनी वेबसाइट/पोर्टल पर उपलब्ध करवा सकते हैं ।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उपरोक्त कार्य इस आदेश के 10 दिवस के भीतर सम्पन्न कर, चयनित विभागीय अधिकारी और सूचना सहायक की सूचना, DoIT&C की वेबसाइट शाखा को oic.website@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलकमार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

एक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाने वाली न्यूनतम सूचना का उद्धरण

- **Home**
- **About Us**
  - Department Profile
  - Vision
  - Organization Chart
- **Employee Corner**
  - Cadre
  - Seniority List
  - Transfer & Posting Orders
- **Downloads**
  - Acts & Rules
  - Service Rules
  - Orders, Circulars & Notification
  - Policies & Guidelines
  - Budget Announcements
  - Annual Progress Reports
  - Miscellaneous
- **Media Zone**
  - Photo Gallery
  - News & Events
  - Press News & Publication
- **Tenders**
  - Latest Tender
  - Archived Tenders
- **Departmental Schemes/Activities**
- **Directory**
- **Contact Us**
- **Accessibility Statement**
- **Accessibility Options**
- **Website Policies**
- **Screen Reader Access**
- **News & Update**
- **FAQ**
- **RTI**
- **Feedback**
- **Disclaimer**
- **Sitemap**
- **Important Links**
- **Nodal Officer Detail**

Note - Website & Website contents must be compliant with GIGW (Guidelines for Indian Government Websites)

Guidelines link - https://web.guidelines.gov.in/Compliancematrix/index)